समाहरणालय मुंगेर
(निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवन कोषांग)

आदेश

बिहार विधान सभा 2020 के अन्तर्गत ज्ञापांक 801 दिनांक 22.09.2020 के आलोक में निर्गत जिला आदेश में श्री रणवीर कुमार, कनीय अभियंता, (मनरेगा) मो. 7903750598 की प्रतिनियुक्त स्थैतिक निगरानी दल के दंडाधिकारी के रुप में 166– जमालपुर विधान सभा क्षेत्र के धरहरा प्रखंड में की गयी थी। पुनः ज्ञापांक 844 दिनांक 27.09.2020 के द्वारा श्री कुमार की प्रतिनियुक्त विडियों निगरानी दल के दंडाधिकारी के रुप में 166– जमालपुर के धरहरा अंचलाधिकारी के दल में हो गयी है।

अतः ज्ञापांक 844 दिनांक 27.09.2020 के आदेश को इस हद तक संशोधित करते हुए श्री कुमार के स्थान पर मनीष दास PTA, धरहरा मो. 7667020252 को अगले आदेश तक विडियो निगरानी दल निम्न तालिकानुसार प्रतिनियुक्त किया जाता है : –

विधान सभा का क्षेत्र संख्या एवं नाम	प्रखंड का नाम	नोडल पदाधिकारी	प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी	संबद्ध विडियोग्राफर
166– जमालपुर	धरहरा	अंचलाधिकारी धरहरा मो. 8544412664	श्री मनीष दास PTA धरहरा मो. 7667020252	श्री हिम्मत सिंह मो. 6207229597

विडियो निगरानी टीम (Video Surveillance Team) के दायित्व :–

1- प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर विडियोग्राफी शुरू करने से पहले अपना नाम, पदनाम, सभा का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम, सभा का उद्देश्य, सभा की तिथि, स्थान इत्यादि का नाम लिखेंगे एवं विडियो में बोलकर Voice Recording करायेंगे।

2. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं विडियोग्राफर इस तरह से फोटो एवं विडियोग्राफी करेंगे कि सभी तरह का साक्ष्य जैसे कितने वाहन का उपयोग किया गया, कितने उपस्कर लगाये गये, कितने साईज का पंडाल शामियाना लगाया गया, कितने कटआउट, दरी, बैनर आदि का प्रयोग किया गया है, कोविड–19 के निदेशों के अनुपालन की स्थिति विडियो में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए ताकि आदर्श आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग यह आकलन कर सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है अथवा उस कार्यक्रम में कितना खर्च किया गया है।

3. कार्यक्रम के अंत में जो भी टीम के सदस्य एवं विडियोग्राफर रहेगें वह उसी विडियो में अपनी आवाज रेकॉर्ड करेगें और उसमें बोलेंगे कि ''गाड़ी की संख्या, कौन सी गाड़ी, कितना उपस्कर, कितने साईज का पंडाल, टेंट, शामियाना, कितने पोस्टर और कितने कटआउट इत्यादि लगाया गया है।''

4- उपर्युक्त वर्णित Unedited सी0डी0 के साथ एक प्रपत्र 'B7' (Cue-Sheet) में एक प्रतिवेदन अपने क्षेत्र के Video Viewing Team एवं M.C.C. कोषांग को तुरन्त उपलब्ध करायेंगे।

सभी निर्वाची पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जो भी कार्यक्रम, सभा, रोड शो इत्यादि के लिए अनुमति देंगे– उसकी प्रति आदर्श आचार संहिता, व्यय अनुश्रवण कोषांग, विडियो निगरानी टीम (Video Surveillance Team) एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस सभा, कार्यक्रम, रोड शो इत्यादि का अनुमति दे रहे है उसका आकलन कर सबंधित नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अधिक दंडाधिकारी एवं विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति स्वयं या प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम

से करायेंगे। इसके लिए एक विशेष कोषांग की स्थापना अपने कार्यालय में करेंगे जो सभी तरह के कार्यक्रम पर निगरानी रखेंगे तथा विडियो निगरानी टीम पर भी निगरानी रखेंगे।

नोटः— यह टीम प्रेस नोट की तिथि से प्रभावी होगा।

02/10/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक : 25 /नि0, दिनांक : 02.10.2020

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, सभी कोषांग, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी निर्वाची पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर /अपर समाहर्त्ता, मुंगेर /उप विकास आयुक्त, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : व्यय प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02/10/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।